

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-

248

पटना, दिनांक:-

01/10/09

ग्रा0वि0 1स्था0(रा0प0/सूचना)-32/2006

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित से संबंधित पूर्व निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-204 सह पठित ज्ञापांक-7438 दिनांक-27.08.09 को आंशिक संशोधन करते हुए विभाग के लिए निम्न रूप से निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रशाखावार लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रशाखा
1	श्री अजय कुमार सिन्हा, उप सचिव	प्रशाखा-1 एवं 4
2	श्री विजय नारायण प्रसाद, उप निदेशक	प्रशाखा-3
3	श्री कौशल कुमार राय, उप सचिव	प्रशाखा-7
4	सुश्री नीलम गुप्ता, उप सचिव	प्रशाखा-2
5	श्री सुनिल कुमार सिंह, अवर सचिव	प्रशाखा-5 एवं 6
6	श्री गोपाल नारायण सिंह, अवर सचिव	प्रशाखा-8

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा !

3. प्रधान सचिव की अनुमति प्राप्त है ।

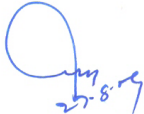
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

का0आ0सं0:- 203 कार्यालय आदेश 27/8/09
पटना, दिनांक:-
गा0वि0 1स्था0(रा0प0/सूचना)-32/2006

संयुक्त सचिव (स्थापना श्री के0पी0 सिंह, बि0प्र0से0) के स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-129 सहपठित ज्ञापांक-3889 दिनांक-07.05.2007 को आंशिक संशोधन करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत विभाग का अपील सुनने के लिए श्री राम बाबु सिंह, बि0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है ।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।
3. प्रधान सचिव की अनुमति प्राप्त है ।


सरकार के उप सचिव